Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana
No. 155-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 29, 2023 (BHADRA 7, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अगस्त, 2023

संख्या 43/जीएसटी–2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करते हैं, जो एसएलपी (सी) संख्या 32709–32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटिड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14–एचजीएसटी/2022/जीएसटी–II, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 73 या 74 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर करने का आशय रखता है।

2. आदेश के विरुद्ध अपील अनुलग्नक–I के रूप में इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप में दोहरी प्रति में की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 107 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मैन्युअल रूप मे प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसी समय अवधि की गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि या उक्त आदेश की तिथि, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से की जाएगी :

परंतु इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार आदेश के विरुद्ध दायर की गई कोई भी अपील इस अधिसूचना के अनुसार दायर की गई समझी जाएगी।

3. अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की पूर्व शर्त के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में यथा निर्दिष्ट कोई भी राशि जमा करवानी अपेक्षित नहीं होगी।

4. इस अधिसूचना के अधीन दायर की गई अपील के साथ आदेश की स्व–प्रमाणित प्रति सहित सुसंगत दस्तावेज संलग्न करने होंगे और ऐसी अपील तथा सुसंगत दस्तावेजों पर हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. अपील की प्राप्ति पर, जो इस अधिसूचना में यथा उपबंधित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अपील संख्या को उपदर्शित करते हुए एक पावती, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल–02 में मैन्युअल रूप में जारी की जाएगी और अपील केवल तभी दायर की गई समझी जाएगी जब उपरोक्त पावती जारी कर दी गई हो।

6. अपीलीय प्राधिकारी, अपने आदेश के साथ, अनुलग्नक–2 के रूप में, इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप में आदेश का सारांश जारी करेगा।

अनुलग्नक–1

अपीलीय प्राधिकारी को अपील

(एसएलपी (सी) संख्या 32709–32710 / 2018 – भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटिड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182 / 14–एचजीएसटी / 2022 / जीएसटी–II, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 के अनुसार पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई)

1. जीएसटीआईएन–
2. अपीलार्थी का विधिक नाम –
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो –
4. पता –
5. आदेश संख्या – आदेश दिनांक –
6. आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम –
7. आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तिथि –
8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम –
9. विवादाधीन मामले के ब्यौरे–
   (i) विवादाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण –
   (ii) परिपत्र संख्या 182 / 14–एचजीएसटी / 2022 / जीएसटी–II, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 (अधिनियम–वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि।
   (iii) उपरोक्त उप मद (ii) में निर्दिष्ट दावे के संबंध में धारा 73 / 74 के अधीन पारित किसी भी आदेश के ब्यौरे :
      (क) आदेश संख्या – आदेश तिथि–
      (ख) उक्त आदेश के अनुसार अनुज्ञात राशि (अधिनियम–वार) – रु.
      (ग) उक्त आदेश के अनुसार उद्गृहीत ब्याज और शास्ति (अधिनियम–वार)–रु.
      (घ) क्या उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है – हां / नहीं
      (ड.) यदि अपील दायर की गई है तो अपील संख्या– अपील दिनांक –
      (च) उक्त अपील की प्रास्थिति – निस्तारित / लंबित
      (छ) यदि अपील का निपटारा हो जाता है तो उक्त अपील के अनुसार स्वीकृत क्रेडिट राशि (अधिनियम–वार) – रु.
   (iv) परिपत्र संख्या 182 / 14–एचजीएसटी / 2022 / जीएसटी–II, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 (अधिनियम–वार) जारी होने के बाद दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि।
   (v) उपरोक्त उप मद (iii) में निर्दिष्ट दावे के अनुसरण में स्वीकृत क्रेडिट की राशि (अधिनियम–वार) – रु.
   (vi) विवादाधीन राशि (अधिनियम–वार)– रु.
10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है – हाँ / नहीं
11. तथ्यों का विवरणः
12. अपील के आधारः
13. प्रार्थनाः

सत्यापन

मैं, < ______________________________ >, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमे ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः

तिथिः

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

टिप्पणः

1. यदि किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है।
2. अक्षर "एन.ए." उस मद के सामने अभिलिखित किया जा सकता है जो इस अपील के लिए अपेक्षित नहीं है।

अनुलग्नक –2

परिपत्र संख्या 182/14–एचजीएसटी/2022/जीएसटी–II, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 के अनुसार पारित किसी आदेश के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् उपलब्ध ट्रांजिशनल क्रेडिट का सारांश

क. जीएसटीआईएन –

ख. अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम–

अपीलार्थी/व्यक्ति का पता –

ग. आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई–संदर्भ (यदि कोई हो) दिनांक–

घ. अपील संख्या दिनांक–

ड. व्यक्तिगत सुनवाई–

च. संक्षेप में आदेश–

छ. आदेश की प्रास्थिति–पुष्टि/उपांतरित/निरस्त

ज. अपील के पश्चात् क्रेडिट/मांग की राशि–

विवरण	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
(क) समुचित अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अनुज्ञेय पाई जाने वाली ट्रांजिशनल क्रेडिट राशि		
(ख) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि		

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षरः
अपीलीय प्राधिकारी का नामः
पदनामः
अधिकारिताः

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th August, 2023

No. 43/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies the special procedure to be followed by a registered person or an officer referred to in sub-section (2) of section 107 of the said Act who intends to file an appeal against the order passed by the proper officer under section 73 or 74 of the said Act in accordance with Circular No. 182/14-HGST/2022/GST-II, dated

the 2nd December, 2022 pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018.

2. An appeal against the order shall be made in duplicate in the Form appended to this notification at **ANNEXURE-1** and shall be presented manually before the Appellate Authority within the time specified in sub-section (1) of section 107 or sub-section (2) of section 107 of the said Act, as the case may be, and such time shall be computed from the date of issuance of this notification or the date of the said order, whichever is later:

Provided that any appeal against the order filed in accordance with the provisions of section 107 of the said Act with the Appellate Authority before the issuance of this notification, shall be deemed to have been filed in accordance with this notification.

3. The appellant shall not be required to deposit any amount as referred to in sub-section (6) of section 107 of the said Act as a pre-condition for filing an appeal against the said order.

4. An appeal filed under this notification shall be accompanied by relevant documents including a self-certified copy of the order and such appeal and relevant documents shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 26 of Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.

5. Upon receipt of the appeal which fulfills all the requirements as provided in this notification, an acknowledgement, indicating the appeal number, shall be issued manually in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the appeal shall be treated as filed only when the aforesaid acknowledgement is issued.

6. The Appellate Authority shall, along with its order, issue a summary of the order in the Form appended to this notification as **ANNEXURE-2**.

ANNEXURE-1

Appeal to Appellate Authority

(Filed against an order passed in accordance with Circular No. 182/14-HGST/2022/GST-II, dated the 2nd December, 2022 pursuant to the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in the Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018)

1. GSTIN–
2. Legal name of the appellant –
3. Trade name, if any –
4. Address –
5. Order No. - Order dated –
6. Designation of the officer passing the order appealed against –
7. Date of communication of the order appealed against –
8. Name of the authorized representative –
9. Details of the case under dispute –
   - (i) Brief issue of the case under dispute –
   - (ii) Amount of transitional credit claimed **before** the issuance of circular no. 182/14-HGST/2022/GST-II, dated the 2nd December, 2022 (Act-wise)–
   - (iii) Details of any order u/s 73/74 passed in respect of the claim referred to in sub-item (ii) above:
     - (a) Order No. - Order dated-
     - (b) Amount allowed as per said order (Act-wise)-Rs.
     - (c) Interest and penalty levied as per said order (Act-wise)-Rs.
     - (d) Whether any appeal preferred against said order- Yes/No
     - (e) If appeal filed then Appeal No.- Appeal Date-
     - (f) Status of said Appeal- Disposed/Pending
     - (g) If appeal disposed off then amount of credit allowed as per said Appeal (Act-wise)-Rs.
   - (iv) Amount of transitional credit claimed **after** the issuance of circular no. 182/14-HGST/2022/GST-II, dated the 2nd December, 2022 (Act-wise)–
   - (v) Amount of credit allowed in pursuance of claim referred to in sub-item (iii) above (Act-wise)-Rs.
   - (vi) Amount under dispute (Act-wise)-Rs.
10. Whether the appellant wishes to be heard in person – Yes / No

11. Statement of facts:

12. Grounds of appeal:

13. Prayer:

Verification

I, < _________________________ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date:

Signature
Name of the Applicant

Note:

1. If the space provided for answering any item is found to be insufficient, separate sheets may be used.
2. The letters "N.A." may be recorded against any item that is not required for this Appeal.

ANNEXURE-2

SUMMARY OF TRANSITIONAL CREDIT AVAILABLE AFTER ISSUE OF ORDER BY THE APPELLATE AUTHORITY WITH REFERENCE TO AN ORDER PASSED IN ACCORDANCE WITH CIRCULAR NO. 182/14-HGST/2022/GST-II, dated the 2nd December, 2022

A. GSTIN -

B. Name of the Appellant/ person-

Address of the Appellant/person -

C. Order appealed against- Ref. (if any) Dated-

D. Appeal No. Dated-

E. Personal Hearing-

F. Order in Brief-

G. Status of Order- Confirmed/Modified/Rejected

H. Amount of Credit/ Demand after Appeal-

Particulars	Central Tax	State/UT Tax
a) Amount of transitional credit found to be admissible pursuant to order of the Proper Officer		
b) Amount determined by Appellate Authority		

Place:

Date:

Signature:
Name of the Appellate Authority:
Designation:
Jurisdiction:

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

10571—C.S.—H.G.P., Pkl.